न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 363–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–2–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 06/अपील/12–13.

1– श्रीमती जुगियाबाई यादव
पुत्री स्व. श्री बालमुकुन्द पत्नी ओ.पी. यादव
निवासी ग्राम करनवास
तहसील व जिला राजगढ़

2– श्रीमती धपियाबाई पुत्री स्व. श्री बालमुकुन्द
पत्नी कैलाश उर्फ केलाराम यादव
निवासी वार्ड नं. 5 लोधी मोहल्ला, औबेदुल्लागंज
तहसील गोहरगंज जिला रायसेन .....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती कुन्तीबाई पुत्री स्व. श्री बालमुकुंद
पत्नी विष्णु प्रसाद यादव
निवासी वार्ड नं. 5 कलार मोहल्ला, औबेदुल्लागंज
तहसील गोहरगंज जिला रायसेन .....अनावेदिका

श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर.एस. भम्मानी, अभिभाषक,आवेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/8/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश 9–2–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण एवं अनावेदिका सहित उनकी मॉ श्रीमती शिप्रा बाई विधवा स्व. श्री बालमुकुंद द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार, औबेदुल्लागंज जिला रायसेन के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प.ह.नं. 8 ग्राम विशनखेड़ा तहसील गौहरगंज जिला रायसेन स्थित सर्वे कमांक 238/1/1, सर्वे कमांक 270 रकबा कमशः 5.14 एकड़ एवं 1.00 एकड़ कुल रकबा 6.14 एकड़ उनके शामिल शरीक की भूमि का बटवारा किए जाने का निवेदन किया गया । अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–6/2005–06 दर्ज किया जाकर दिनांक 23–12–05 को आदेश पारित बटवारा किया गया एवं उसके पालन में नामान्तरण पंजी कमांक 41 में दिनांक 23–12–05 को नामांतरण आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 14–3–12 को लगभग 7 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई, साथ में विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 1–10–2012 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया एवं तहसील न्यायालय के विवादित आदेश के पूर्व की प्रविष्टियों को यथावत रखे जाने का आदेश दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9–2–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर द्वितीय अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कथनों को अनदेखा किया गया है । यह भी कहा गया कि शिप्रा बाई उभय पक्ष की मां है और उनके द्वारा कथन में यह उल्लेख किया गया है कि उनकी पुत्रियां अपना हिस्सा छोड़ना चाहती हैं, जो कि त्रुटिपूर्ण है, कारण शिप्रा बाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं कथन में किये गये हस्ताक्षरों में भिन्नता है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय में आवेदकगण को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है और मां की मृत्यु के उपरांत आदेश की जानकारी हुई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी

का आदेश इस आधार पर निरस्त करने में त्रुटि की गई है कि सर्वप्रथम अनुविभागीय अधिकारी को अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण करना चाहिए था तत्पश्चात गुण–दोष पर आदेश पारित करना चाहिए था । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा आदेशिका में उल्लेख किया गया है कि आदेश पृथक से संलग्न, परन्तु प्रकरण में आदेश संलग्न नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अकृत आदेश है, जिसे किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है और ऐसे आदेश में समय–सीमा लागू नहीं होती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो कि निरस्त हुआ है और उसकी अपील भी निरस्त हो गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपंजीकृत दस्तावेज से आवेदकगण के स्वत्व समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज से स्वत्व समाप्त होने में शासन को मुद्रांक शुल्क की हानि हुई है ।

तर्कों के समर्थन में 1994 आर.एन. 102, 1997 आर.एन. 310, 1999 आर.एन. 80, 2002 आर.एन. 80 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मूल आवेदन पत्र बटवारा का है, इसलिए उसका पंजीयन आवश्यक नहीं है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय में मां एवं पुत्रियों द्वारा सहमति दी गई है और सहमति स्वरूप उनके हस्ताक्षर भी हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदन पत्र पर आवेदकगण के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर हैं, जिनका प्रमाणीकरण अभिभाषक द्वारा किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि यह प्रमाणित नहीं हैं कि धुपियाबाई के हस्ताक्षर नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यद्यपि यह उल्लेख किया गया है कि अंतिम आदेश के समय, समय–सीमा पर विचार किया जायेगा, परन्तु समय–सीमा पर कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पैतृक सम्पत्ति है, जिसका विभाजन किया जा सकता है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदिका द्वारा आवेदकगण को उनके हिस्से के बदले में राशि दी गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि बटवारे में मुद्रांक शुल्क देय नहीं होता है, इसलिए शासन को कोई हानि नहीं हुई है । तर्क में यह भी कहा गया कि यदि तहसीलदार द्वारा प्रकरण गलत शीर्ष में दर्ज कर लिया

गया है तो इसके लिए पक्षकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका द्वारा अपनी मां की सेवा करने के कारण मां द्वारा उसको भूमि दी गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 178 के अंतर्गत सहमति के आधार पर पारित बटवारा आदेश को 7 वर्ष पश्चात चुनौती नहीं दी जा सकती है ।

प्रत्युत्तर में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि बटवारा अभिलिखित भूमिस्वामियों के मध्य किया जाता है, जबकि अनावेदिका सह खातेदार नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर तर्क हेतु प्रकरण तो नियत किया गया है, परंतु उसके पश्चात् न तो अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर तर्क सुने गये हैं, और न ही आदेश पारित किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक होने से निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। तहसीलदार द्वारा सहमति के आधार पर पारिवारिक बटवारा किया गया है, जिसका पंजीकरण आवश्यक नहीं है, इस कारण तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थितियों अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग ,भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–2–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर